

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

दिनांक

16.9.14

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा  
न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने  
से पत्रावली दिनांक को पेश हो। 30  
(8.11.14) 21/9

18.11.14

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय  
कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पद रिक्त है।  
अतः पत्रावली दिनांक 17.3.15 को पेश हो।  
श्री  
रीडर  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

17.3.15

उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी  
राजकार्य से बाहर है / अवकाश पर  
है / पद रिक्त है।  
अतः पत्रावली दिनांक 17.3.15 को पेश हो।

श्री  
रीडर  
सहायक कलक्टर माण्डल

श्री  
रीडर

18.5.15

पत्रावली केम्य लुहाशिया में पेश।  
पतिवादी स० श्री बालू सिंह पिता नूरसिंह  
राजपूत निवासी टाशेडने उपरिपत हो कर  
पार्षदा पत्र पेश किया कि नाम श्री शेडने  
की जमाबंदी के खाता संख्या 193 में बंदिता  
अंतराजियात में मुक्त पतिवादी का ई हिस्सा है  
त मेरे भाई का ई हिस्सा दर्ज है।

उक्त खाते में साधा हिस्सा जो मेरे  
नाम पर दर्ज है जो जमीन पुरतेंती है। उक्त  
में आपने वारिसान की सहमति एवं शर्तों  
के बिना नहीं करुगा और यदि पारिवारिक  
अंतराजियात हेतु मैं आपने वारिसान की  
सहमति के बिना बिना नहीं करुगा।

अतः उक्त बंदिता साधारण पर मामले का  
लोक अदालत की शक्ति से निरस्त (18/5/15)  
जावे।

पत्रावली का आवलीवन किया गया।  
पतिवादी स० श्री बालू सिंह पिता नूरसिंह  
सहायक कलक्टर माण्डल

श्री  
रीडर

FORM No. III  
फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत \_\_\_\_\_ मुकाम \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ यनाम बालुसिंह  
 किरम मुकदमा जाज(२.७) वा ५ नं. 79/13 सन् \_\_\_\_\_

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>अनादेश दिया जाता है कि, ग्राम चारवेड के शाला संस्था 193 में वर्जित आरक्षण पर धरिवादी श्री बालुसिंह पिता बुरसिंह राजपूत निवासी चारवेड के 1/2 हिस्से पर महिला श्री श्याम की मयाशयति बलापूर्वक शब्दों की आरक्षण जिसे धारा 13 की नीचे आती है, हिली जाये।</p> <p>अनाज यह निर्णय सुनने न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>पत्रावली पेशल शुमार होकर नम्बर में काम हो।</p> <p><i>(देवी सिंह)</i>  <b>बौध्दासीन अधिकारी एवं</b>  <b>सप्लेक्स अधिकारी एवं</b>  <b>सदस्य सहायक कलेक्टर माण्डल</b></p>	